

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004  
= = = = = = = = = =

क्रमांक- एफ 73- 99 /20-3/200

भोपाल, दिनांक -

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय **तिटो लेन्ड्रिन स्कूल इमार, मध्यप्रदेश** -

को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.आर.सी.  
देने बाबत ।

= = 00 = =

राज्य शासन द्वारा अशासकीय **तिटो लेन्ड्रिन स्कूल, इमार, मध्यप्रदेश**.  
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति  
प्रमाण पत्र विषेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी  
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे  
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक **उपरोक्षारू** को  
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना  
होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रयार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों  
में यदि संस्था से किंहीं कार्यों की अपेक्षा को जाती है तो ऐसे कार्यों  
को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है ।  
परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
को इनके किसी खेल परिसर या भवन को आकर्षकता पड़तो है तो  
उपलब्ध कराना होगा ।

१०२८

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संदर्भित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टार्टअप को सेवाओं की आवश्यकता होती तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यालय के नाम से  
तथा आदेशानुसार

॥ आर. आर. अहिरदार ॥

आलम राज्य

म०५० शासन, सूचना विभाग.

पृ. क्र. एफ 73 - १५ / २०-३/२००

भोपाल, दिनांक - ११-४-०५

प्राचिलिपि :-

1. आलम, नोट विभाग, बुरुज़ नोटराम
2. जिला प्रिमा अधिकारी, निकाल - भिन्न, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, आर. तिवी सेन्ट्रल डा. ए. सूचना, भिन्न।

को शोर दूर कर्म संवाद कर्तव्यात्मी हेहु अपेक्षा है।

१५  
अलम संचिव  
२०१८

म०५० शासन, सूचना विभाग.

१५

//प्राचार्य//  
३०.१२.०५